न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सिरोही
(पीठासीन अधिकारीः के.आर.खौड़, आर.ए.एस.)

प्रार्थी

विकास अधिकारी, पंचायत समिति, पिण्डवाडा, जिला- सिरोही

बनाम

अप्रार्थी

1. सरपंच, ग्राम पंचायत, वाटेरा, तहसील- पिण्डवाडा, जिला- सिरोही
2. श्रीमती रेखा देवी पत्नि श्री अशोक कुमार अग्रवाल, जाति- अग्रवाल, निवासी- वाटेरा, तहसील- पिण्डवाडा, जिला- सिरोही

पंचायत निगरानी संख्याः 127/2020

"निगरानी आवेदन अर्न्तगत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994"

उपस्थितिः

1. अधिवक्ता श्री भंवर सिंह देवड़ा, अप्रार्थी संख्या–2 की ओर से

-: निर्णय :- **दिनांक 03 जनवरी, 2022**

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। प्रार्थी विकास अधिकारी, पंचायत समिति, पिण्डवाडा द्वारा यह निगरानी आवेदन ग्राम पंचायत, वाटेरा द्वारा अप्रार्थी संख्या-2 के पक्ष में राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 158 के तहत रियायती दर पर भूखण्ड आवंटन करने के संबंध में पारित प्रस्ताव संख्या 7 दिनांक 05.6.2017 एवं इस प्रस्ताव के अनुसरण में अप्रार्थी संख्या-2 के पक्ष में जारी पट्टा विलेख संख्या 29609 दिनांक 08.6.2017 को निरस्त कराने हेतु अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रस्तुत किया है।

(2) प्रार्थी विकास अधिकारी, पंचायत समिति, पिण्ड्वाडा द्वारा प्रस्तुत यह निगरानी आवेदन जिला कलक्टर न्यायालय, सिरोही के क्षेत्राधिकार का होने से जिला कलक्टर न्यायालय, सिरोही में प्रस्तुत किया गया। जिला कलक्टर, सिरोही के आदेश क्रमांक:कोर्ट/2020/742-43 दिनांक 20.10.2020 से उक्त निगरानी आवेदन इस न्यायालय को सुनवाई हेतु स्थानान्तरित किये जाने पर इस न्यायालय में दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये जाकर तामिल करवाये गये। प्रकरण की सुनवाई के दौरान अप्रार्थी संख्या-2 की ओर से उसके अधिवक्ता उपस्थित हुये, लेकिन अप्रार्थी संख्या-2 की ओर से जवाब प्रस्तुत नही करने के कारण अप्रार्थी संख्या-2 का जवाब बन्द किया गया। प्रकरण में अप्रार्थी संख्या-1 (सरपंच, ग्राम पंचायत, वाटेरा) को नोटिस की तामिल होने पर प्रकरण में नियत सुनवाई तिथि 12.3.2021 को श्री दुर्गेश कुमार, ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत, वाटेरा ने इस न्यायालय में उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत किया।

(3) प्रकरण में बहस हेतु नियत दिनांक 03.12.2021 को प्रार्थी पक्ष की ओर से कोई उपस्थित नही हुआ एवं अप्रार्थी संख्या-1 की ओर से भी कोई उपस्थित नही हुआ। दिनांक 03.12.2021 को अप्रार्थी संख्या-2 के [illegible] बहस सुनी गई। अप्रार्थी संख्या-2 के विद्वान अधिवक्ता ने बहस के [illegible] व्यक्त किया कि ग्राम पंचायत,

.....पेज दो पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2022.06.06 18:05:34 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलक्टर
सिरोही

वाटेरा द्वारा अप्रार्थी संख्या-2 के पक्ष में राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 158 के तहत जो विक्रय विलेख जारी कर निष्पादित किया है वह पूर्ण रुप से सही व नियमों के अनुरुप जारी किया गया है। प्रश्नगत पट्टे की भूमि पर अप्रार्थी संख्या-2 का पुराना कब्जा था एवं पुराने कब्जे के आधार पर अप्रार्थी संख्या-2 प्रश्नगत भूमि का पट्टा प्राप्त करने की पात्रता रखती थी। अप्रार्थी संख्या-2 के पास कोई आवासीय मकान नही होने से रियायती दर पर पट्टा प्राप्त करने की अधिकारी है। अप्रार्थी संख्या-2 भूमिहीन व्यक्ति होने से ग्राम पंचायत, वाटेरा ने बाद जांच नियमानुसार पट्टा जारी किया गया है। अप्रार्थी संख्या-2 के विद्वान अधिवक्ता ने बहस के दौरान यह भी व्यक्त किया कि यदि फिर भी ग्राम पंचायत स्तर पर कोई अनियमितता या त्रुटि हुई है तो उसे किसी भी समय सुधारा जा सकता है। ग्राम पंचायत द्वारा किये गये कृत्य के लिये अप्रार्थी संख्या-2 को दोषी नही ठहराया जा सकता है, क्योकि नियमों की पालना करने का दायित्व ग्राम पंचायत के पदाधिकारियों का था जिस पर अप्रार्थी संख्या-2 का कोई नियंत्रण नही था। प्रार्थी विकास अधिकारी, पंचायत समिति, पिण्डवाडा ने निगरानी में अंकित कथनों के समर्थन में निगरानी आवेदन के साथ शपथ पत्र प्रस्तुत नही किया है, जिसके कारण प्रार्थी का निगरानी आवेदन कानूनन परिपोषणीय नही है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी आवेदन न्यायालय में प्रस्तुत किये जाने वाले निगरानी आवेदन के प्रारुप में नही होकर विभागीय पत्र के रुप में प्रस्तुत किया है। ग्राम पंचायत, वाटेरा ने अप्रार्थी संख्या-2 के पक्ष में रियायती दर पर भूखण्ड आवंटन करने के संबंध में प्रस्ताव संख्या 7 दिनांक 05.6.2017 को पारित किया गया है, जिसको प्रार्थी विकास अधिकारी, पंचायत समिति, पिण्डवाडा ने कभी भी चुनौती नही दी है एवं इस प्रस्ताव के अस्तित्व में रहते उक्त निगरानी आवेदन कानून परिपोषणीय नही है। अतः प्रार्थी विकास अधिकारी, पंचायत समिति, पिण्डवाडा का निगरानी आवेदन खारिज किया जावे।

(4) प्रकरण में सुनी गई बहस पर मनन किया एवं न्यायालय पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि ग्राम पंचायत, वाटेरा द्वारा पंचायत बैठक दिनांक 05.6.2017 में प्रस्ताव संख्या- 7 पारित कर अप्रार्थी संख्या-2 को राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 158 के तहत रियायती दर पर भूखण्ड आवंटन करने का निर्णय लेते हुए इस प्रस्ताव संख्या 7 दिनांक 05.6.2017 के अनुसरण में अप्रार्थी संख्या-2 के पक्ष में राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के तहत रियायती दर पर भूखण्ड आवंटन का पट्टा विलेख संख्या 29609 दिनांक 08.6.2017 को जारी किया गया है। राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 158(1) के अनुसार पंचायत, गांव आबादियों में 3000 वर्गगज तक कि आबादी भूमि अनुसूचित जातियों, स्वच्छकारों, अनुसूचित जनजातियों, पिछडा वर्ग के सदस्यों को, गांव कारीगरों, श्रम मजदूरी पर आधारित भूमिहीन व्यक्तियों, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम में चयनित परिवारों, विकलांगों, यायावर जनजातियों, गाडियों लुहारों को जिनके पास स्वयं [illegible] से बाढग्रस्तों को भी जिनके गृह बह गये है या गृह स्थल बाढ के [illegible] निवास हेतु अयोग्य हो गये है, को रियायती दरों पर आवंटन कर सकेगी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2022.06.06 18:05:34 IST
Reason: SelfAttested

.....पेज तीन पर

सहा. शासन सचिव
सिरोही (राज.)

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि उपखण्ड अधिकारी, पिण्डवाडा के आदेश क्रमांक:राजस्व/2016/208 दिनांक 11.3.2016 के द्वारा ग्राम पंचाययत, वाटेरा को ग्राम वाटेरा के खसरा संख्या 382, 697, 1148 किस्म क्रमशः गै.मु. पहाड, गै.मु. पत्थर, गै.मु. पत्थर में से रकबा क्रमशः 5.00 बीघा, 1.12 बीघा व 0.07 बीघा भूमि आबादी विस्तार हेतु आवंटित की गई थी। उपखण्ड अधिकारी, पिण्डवाडा के इस आवंटन आदेश की शर्त संख्या-3 के अनुसार अतिक्रमण शुदा कब्जे की भूमि को बाजार दर पर राशि जमा कराने पर ही आबादी के लिये ग्राम पंचायत विक्रय कर पट्टा जारी करेगी, अन्यथा अतिक्रमियों को मौके से बेदखल कर दिया जायेगा। इस आवंटन आदेश की शर्त संख्या-4 के अनुसार यदि ग्राम पंचायत रियायती दर पर पट्टा देने का निर्णय लेती है तो अतिक्रमियों के पास आवास है या नही, आय आदि के बारे में ग्राम पंचायत की समिति में ग्रामसेवक व पटवारी (मौका रिपोर्ट वाली समिति में) शामिल किया जाकर ही नियमानुसार पट्टे जारी किये जा सकेंगे। आवंटन आदेश की शर्त संख्या-6 के अनुसार पंचायत आबादी भूमि के भूखण्डों का नक्शा प्लान तैयार कर ग्राम सभा से अनुमोदन कराना होगा। पंचायती राज अधिनियम व उसके अर्न्तगत बने नियमों के अनुसार भूखण्ड पाने की पात्रता रखते है, उन्हें नियमानुसार भूखण्ड आवंटन किये जा सकेगें। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज श्री केतन ओझा, पंचायत प्रसार अधिकारी, पंचायत समिति, पिण्डवाडा, श्री हिराराम, पंचायत प्रसार अधिकारी, पंचायत समिति, पिण्डवाडा व श्री चुन्नीलाल, पंचायत प्रसार अधिकारी, पंचायत समिति, पिण्डवाडा की संयुक्त जांच रिपोर्ट की छायाप्रति के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत, वाटेरा ने आबादी विस्तार हेतु आवंटित भूमि का नक्शा प्लान तैयार नही किया है। ग्राम पंचायत, वाटेरा के पास ऐसा कोई प्लान नक्शा उपलब्ध नही है जिससे यह स्पष्ट हो सके कि अप्रार्थी संख्या-2 को कौन से खसरा संख्या नंबर में किस भूखण्ड का पट्टा जारी किया है, जो उपखण्ड अधिकारी, पिण्डवाडा के उक्त आवंटन आदेश दिनांक 11.3.2016 की शर्त संख्या-6 का उल्लंघन है। उपखण्ड अधिकारी, पिण्डवाडा के उक्त आवंटन आदेश की शर्त संख्या-4 के अनुसार यदि ग्राम पंचायत रियायती दर पर भूखण्ड आवंटन का निर्णय लेती है तो इन व्यक्तियों/अतिक्रमियों के पास आवास है या नही, आय आदि के बारे में ग्राम पंचायत की समिति में ग्रामसेवक व पटवारी को (मौका रिपोर्ट लेने वाली समिति में) शामिल किया जाकर ही नियमानुसार पट्टे जारी किये जा सकेंगे, लेकिन ग्राम पंचायत, वाटेरा ने उपखण्ड अधिकारी, पिण्डवाडा के इस आवंटन आदेश की शर्त संख्या-4 की भी पालना नही की है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज श्री केतन ओझा, पंचायत प्रसार अधिकारी, पंचायत समिति, पिण्डवाडा, श्री हिराराम, पंचायत प्रसार अधिकारी, पंचायत समिति, पिण्डवाडा व श्री चुन्नीलाल, पंचायत प्रसार अधिकारी, पंचायत समिति, पिण्डवाडा की संयुक्त जांच रिपोर्ट की छायाप्रति के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत, वाटेरा ने आबादी विस्तार हेतु आवंटित भूमि का नक्शा प्लान तैयार करवाये बिना ही एवं राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के [illegible] के तहत अप्रार्थी संख्या-2 के रियायती दर पर भूखण्ड आवं[illegible]प्रार्थी संख्या-2 को रियायती दर पर भूखण्ड आवंटन का पंचायत [illegible] में निर्णय लेते हुए रियायती दर पर पट्टा विलेख जारी किया है, जो विधि सम्मत नहीं है।

....पेज चार पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2022.06.06 18:05:34 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

पंचायत निगरानी संख्या: 127/2020

अत: प्रार्थी विकास अधिकारी, पंचायत समिति, पिण्डवाडा का निगरानी आवेदन स्वीकार किया जाकर ग्राम पंचायत, वाटेरा द्वारा अप्रार्थी संख्या-2 को राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 158 के तहत रियायती दर पर भूखण्ड आवंटन के संबंध में पारित प्रस्ताव संख्या 7 दिनांक 05.6.2017 एवं इस प्रस्ताव संख्या 7 दिनांक 05.6.2017 के अनुसरण में अप्रार्थी संख्या-2 के पक्ष में जारी पट्टा विलेख संख्या 29609 दिनांक 08.6.2017 को निरस्त किया जाता है। निर्णय सुनाया गया।

(के.आर. खौड)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
सिरोही

Signature Not Verified

Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2022.06.06 18:05:34 IST
Reason: SelfAttested